



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं0 - 1659 वर्ष 2026

मंजू देवी

..... याची(गण)

बनाम

30प्र0 राज्य तथा 17 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : हिमांशु गिरि

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं0 - 6

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विरोधी पक्षकार को नोटिस देने से तथा यह याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभदायक प्रयोजन पूरा नहीं होगा। फिर भी, यदि विरोधी पक्षकार आदेश द्वारा व्यथित महसूस करता है आदेश के उपचारण/ परिवर्तन की मांग करने के इसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. एकपक्षीय आदेश 19-07-2024 के विरुद्ध, प्रत्यर्थी सं0 2 अर्थात उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील-बैरिया, जिला बलिया के समक्ष 20-07-2024 को याची द्वारा रिकाल आवेदन दाखिल किया गया था लेकिन आज भी विचाराधीन है तथा आज की तिथि तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः रिट याचिका प्रस्तुत है।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
5. मामले में तथ्यों तथा परिस्थितियों में एवं न्यायहित में, प्रत्यर्थी सं0 2 अर्थात उपखण्ड मजिस्ट्रेट तहसील-बैरिया, जिला बलिया को पूर्वोक्त आवेदन का विनिश्चय शीघ्रतम सर्वथा विधि के अनुसार तथा इस आदेश के प्रमाणित प्रति के उपस्थापन की तिथि से छह माह के अवधि के अन्दर करने का निदेश देते हुए, लेकिन अनावश्यक स्थगन दिये बिना वर्तमान याचिका को अंततः निपटाया जाता है जब तक विधिक बाधा न हो।

जनवरी 30, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"